PRADEEP GUPTA
Advocate

9709

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

TREASURY OFFICE GHAZIABAD

07 JUL 2010

₹ 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 856516

तहसील बार एसोसिएशन रजि. गाजियाबाद

लीज डीड अवधि 30 वर्ष
स्टाम्प 300/-रूपये का ।

हम कि श्री हरीशचन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद द्वारा ट्रस्टी इंजी॰ अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरीशचन्द्र अग्रवाल निवासी 12 जी. टी.रोड पटेल नगर-प्रथम गाजियाबाद . का हूँ प्रथम पक्ष/सम्पत्ति मालिक

एवं एच.आर.इन्स्टीटयूट ऑफ लॉ गाजियाबाद द्वारा श्रीमति दीपांजली अग्रवाल पत्नी श्री अनिल कुमार अग्रवाल निवासी के.एफ.-91 कवि नगर, गाजियाबाद चैयरपर्सन एच.आर.इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ,गाजियाबाद . की हूँ द्वितीय पक्ष ।

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

02 JUL 2010

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 856517

(2)

उक्त लीज एग्रीमेन्ट दोनो पक्षारानों की आपसी सहमति से लिखकर निम्न शर्तो के अनुसार निस्तारित किया जा रहा है जो निम्नवत है :–

जो कि निम्न सीमित एक बिल्डिंग मय संलग्न गाउण्ड मय आराजी तहती रकबई 2500 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 288 ए स्थित ग्राम दुहाई , मोरटा परगना जलालाबाद उक्त सम्पूर्ण भूमि मय बिल्डिंग के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी व किसी भी व्यक्ति संसाि आदि को लीज पर देने के अधिकारी है, तथा द्वितीय पक्ष संस्था प्रथम पक्ष संस्था की ही शाखा है, तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण को उक्त संस्था के लिये शिक्षण कार्य

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

₹ 100

02 JUL 2010

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 856518

(3)

हेतू तीस वर्ष के लिये लीज पर लेने की ख्वाइश प्रथम पक्ष से की है, तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के अधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिये द्वितीय पक्ष को लीज पर दे दिया है । अतः दोनो पक्ष व उनके उत्तराधिकारीगण निम्न धाराओं के तहत पाबन्द रहेगें :–

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

1. यह कि लीज दिनांक 01–01–2018 ई० से प्रारम्भ की गयी है, तथा किरायेदारी का प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष की पहली तारीख को शुरू होकर उसी वर्ष की अन्तिम तारीख यानि 31 दिसम्बर को पूरा हूआ करेगा ।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति का लीज दोनो पक्षों में 1000/–रूपयें प्रति वर्ष तय पाया है जिसे द्वितीय पक्ष, प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगें, तथा उक्त लीज की अवधि 01–01–2018 से तीस वर्ष तक रहेगी ।

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

Pradeep Gupta Advocate

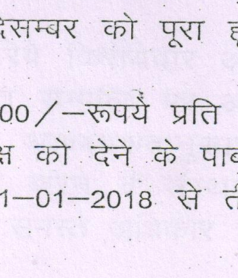

(5)

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर बजरिये किरायेदार अपना कब्जा कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति पर अपनी आवश्यकतानुसार अन्य निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व अपनी इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगें ।

4. यह कि किरायेदारी 01—01—2018 से तीस वर्ष तक रहेगी तथा उक्त अवधि में कोई किराया नही बढ़ाया जायेगा ।

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

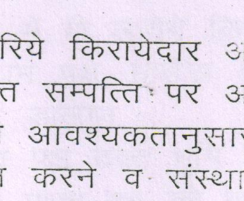

5. यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष के किरायेदारी के कारण व द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगें, द्वितीय पक्ष ही अदा किया करेगें ।
6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति का अपने प्रयोग में ही लायेगें किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नही रखेगें तथा प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के कब्जे में कोई व्यवधान किसी भी प्रकार नही डालेगा ।
7. यह कि किरायेदारी की अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेगें जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी ।

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कॉलिज चलाने की स्वीकृती सम्बन्धी समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगें तथा हर प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार द्वितीय पक्ष का प्राप्त रहेगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी ।

9. यह कि न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलैक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबांद वाद संख्या 34/2010–11 अन्तर्गत धारा–143 उ.प्र.ज. वि.अ.ग्राम दुहाई, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेवल ट्रस्ट आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जा चुका है ।

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
HCF. Institute of Law
Ghaziabad

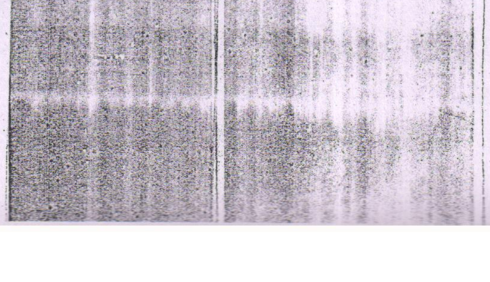

10. उक्त स्थल पर ग्राम दुहाई मोरटा खसरा संख्या 288ए, पर एच.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ प्रस्तावित है ।
11. यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगें तथा उनके वारिसान भी उक्त शर्तो को पालन करने के लिए पाबन्द रहेगें। अतः यह किरायानामा अवधि तीस वर्ष लिख दिया । यह दिनांक 01–10–2018 से दिनांक 31–12–2047 तक जारी रहेगी । ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे । इति ।
12. लीज की अवधि समाप्ति पर लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

सीमाये उक्त सम्पत्ति

बिल्डिंग क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया 1400 वर्ग मीटर सम्बन्धित खसरा नम्बर 288ए , स्थित दुहाई मोरटा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद

पूरब : रास्ता
पश्चिम : सम्पत्ति ट्राइडेन्ट एजुकेशनल ट्रस्ट
उत्तर : सम्पत्ति बी.बी.डी.आई.टी.
दक्षिण : प्रथम पक्ष

For Harish Chandra Ramkali Charitable Trust

Trustee

Chairperson
H.R. Institute of Law
Ghaziabad

गवाह नं॰1 श्री अतुल भूषण S/o श्री बी.बी.पी. गुप्ता
R/o 55 बालूपुरा गा॰बाद

गवाह नं॰2 श्री अंजुल अग्रवाल S/o श्री अनिल अग्रवाल
R/o के-एफ-91 कवि नगर गा॰बाद

दिनांक : 3–8–2018 ई॰ मसौदा प्रदीप गुप्ता एडवोकेट चैम्बर नं॰14 तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद
टाईप किया : एस.के.सिंह

PRADEEP GUPTA
Advocate